न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक I/2015 जिला–जबलपुर विविध/3829–I–15

राजू परधान पुत्र श्री जेठूलाल परधान, निवासी– 162, सालीबाडा, तहसील व जिला–जबलपुर (म.प्र.) -- प्रार्थी

विरूद्ध

1– आशीष कुमार उपाध्याय पुत्र श्री अश्वनी कुमार उपाध्याय निवासी– स्नेहनगर, तहसील व जिला–जबलपुर (म.प्र.)

2– श्रीमती आभा दुबे पति श्री आर.के. दुबे निवासी– 820, स्नेहनगर, तहसील व जिला–जबलपुर (म.प्र.)

3– मध्य प्रदेश शासन, द्वारा – कलेक्टर, जबलपुर (म.प्र.) -- प्रतिप्रार्थीगण

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/अ–21/2014–15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28.10.2015 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 3570/I/2015 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 06.11.2015 पारित किया गया है। जिसके अनुसार प्रार्थी की अपील स्वीकार की गयी है (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)
2. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष जो निगरानी प्रार्थी द्वारा कलेक्टर जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी उसमें आदेश के पेंज नं. 1 में ग्राम बम्हनी की भूमि खसरा नं. 472/2, 579/2 रकवा क्रमशः 0.890, 0.700 कुल रकवा 1.59 है0 (3.92 एकड़) का उल्लेख किया गया है। और आवेदक द्वारा माननीय न्यायायल के समक्ष जो निगरानी प्रस्तुत की गयी है उसमें भी उपरोक्त सर्व नं. का उल्लेख है किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने में उक्त सर्वे नं. का उल्लेख नहीं हो सका है यह एक लिपिकीय त्रुटि है जिंसे सुधार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
3. यहकि, माननीय न्यायालय के आदेश के आदेश के अन्तिम पेंज में ग्राम बम्हनी की भूमि खसरा नं. 472/2, 579/2 रकवा क्रमशः 0.890, 0.700 कुल रकवा 1.59 है0 (3.92 एकड़) का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि वास्तविक रूप से उक्त उल्लेख किया जाना आवश्यक है। क्योंकि यह लिपिकीय त्रुटि है जो सुधार किये जाने योग्य है।

अतएव निवेदन है कि आवेदन–पत्र स्वीकार कर आदेश के अन्तिम पैरा में ग्राम बम्हनी की भूमि खसरा नं. 472/2, 579/2 रकवा क्रमशः 0.890, 0.700 कुल रकवा 1.59 है0 (3.92 एकड़) का उल्लेख किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जायें।

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 26.11.2015

निवेदक
राजू परधान पुत्र श्री जेठूलाल परधान, निवासी– 162, सालीबाडा, तहसील व जिला–जबलपुर (म.प्र.) -- प्रार्थी
द्वारा अभिभाषक
के.के. द्विवेदी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 3829/I/2015 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4-12-15	प्रार्थी अभिभाषक द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सुना गया अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06.11.2015 में भूमि खसरा नं. 472/2, 579/2 रकवा 0.890, 0.700 कुल रकवा 1.59 है0 (3.92 एकड़) का उल्लेख होने से रह गया है। ऐसी स्थिति में उक्त लिपिकीय त्रुटि सुधार किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी अभिभाषक के तर्को के परिपेक्ष में आदेश एवं निगरानी मेमो का अवलोकन किया गया जिसमें उक्त खसरा नं. 472/2, 579/2 रकवा 0.890, 0.700 कुल रकवा 1.59 है0 (3.92 एकड़) का उल्लेख निगरानी मेमो में है किन्तु आदेश में रह गया है। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नं. का उल्लेख किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त आदेश मूल आदेश का अंग होगा इसी निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। सदस्य	